आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 18.12.2025 समय : 1905

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''द फस्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान'' से सम्मानित किया।
- विकसित भारत जी–राम–जी दो हजार पच्चीस विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। कृषि मंत्री ने कहा नए विधेयक से ग्रामीण रोजगार योजना और सशक्त होगी।
- विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस पर डीब्रेट और आई ई आई ने मिलकर युवाओं को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया।
- स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अबरडीन फूड कोर्ट में स्थायी स्टॉल के लिए ऑनलाइन ई–टेंडर आमंत्रित किए गए।

<><><><><><><><>

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च सम्मान 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने इस अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। प्रधान मंत्री को यह सम्मान भारत–ओमान संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व को मान्यता देने के लिए दिया गया। यह समारोह आज मस्कट के रॉयल पैलेस में आयोजित किया गया। प्रधान मंत्री की ओमान यात्रा के दौरान यह सम्मान दोनों देशों के बीच सत्तर वर्षों के कूटनीतिक संबंधों की पूर्णता के अवसर पर और रणनीतिक साझेदारी को विशेष महत्व देता है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता, इसकी संस्कृति का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री आज ओमान की यात्रा के दूसरे दिन मस्कट में मैत्री पर्व कार्यक्रम में भारतीय समुदाय और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने मैत्री पर्व को समुद्री विरासत, आकांक्षाओं, नवाचार, विश्वास, प्रौद्योगिकी, सम्मान और समावेशी विकास के रूप में वर्णित किया है। प्रधान मंत्री ने भारत और ओमान के बीच समुद्र मैत्री के इतिहास और विरासत सन्बन्धों पर भी प्रकाश डाला।

इससे पहले, आज सवेरे प्रधानमंत्री ने मस्कट में आयोजित भारत–ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत, मांडवी और मस्कत को जोड़ने वाली ऐतिहासिक समुद्री विरासत का उत्तराधिकारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे, जहां ओमान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया।

<><><><><><><><>

लोकसभा ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारन्टी मिशन–ग्रामीण : जी–राम–जी– विधेयक दो हजार पच्चीस पारित कर दिया है। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत दो हजार सैंतालीस के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी विधेयक लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में सौ दिन के काम की गारंटी दी जाती है, वहीं नए विदेश में हर साल एक सौ पच्चीस दिन का रोजगार मिलेगा। यह रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। यदि पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं। गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसके इसी साल बजट में प्रस्तावित

है एक लाख इक्यावन हजार दो सौ बयासी करोड़ रुपया, और ये रुपया कहां जाएगा ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा।

<><><><><><><>

अकेले भारत सरकार पिचानबे हजार छह सौ करोड़ रूपया खर्चा करेगी। योजना में महिलाओं की भागीदारी केवल अड़तालीस प्रतिशत थी, जिसे एनडीए सरकार के तहत बढ़ाकर छप्पन प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत साठ प्रतिशत धनराशि मजदूरी और चालीस प्रतिशत सामग्री के लिए निर्धारित है।

<><><><><><><>

भारतीय अभियंता संस्थान, अंडमान निकोबार राज्य केंद्र और डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर 2025 का विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। यह आयोजन DBRAIT के ग्रीन बिल्डिंग स्थित सम्मेलन हॉल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर, कमांडेंट नरेश कुमार, FIE ने "ऊर्जा संरक्षण" विषय पर एक तकनीकी व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में DBRAIT के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और ऊर्जा संरक्षण के महत्व और इसे अपनाने के उपायों पर विचार–विमर्श किया।

<><><><><><><>

सांस्कृतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अबरडीन फूड कोर्ट में स्थायी स्टाल को लीज पर देने के लिए ऑनलाइन ई–टेंडर आमंत्रित किया गया है। इच्छुक बोलीदाता टेंडर दस्तावेज और शर्तें वेबसाइट eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि छह जनवरी है।

<><><><><><><>

केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग और उन्नति (शांति) विधेयक, दो हजार पच्चीस प्रस्तुत किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही संशोधनों के साथ पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के सुरक्षित उपयोग के लिए मजबूत नियामक ढांचा तैयार करना है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। कानून परमाणु दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करता है और परमाणु जवाबदेही कोष के गठन का प्रावधान करता है।

<><><><><><><>

अबरडीन बाजार, श्री विजया पुरम स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर ट्रस्ट बीस दिसंबर को श्री वीर हनुमान जयंती मनाने जा रहा है। समारोह की शुरुआत सुंदरासन होमम और हवन से सुबह आठ बजे होगी। इसके बाद अभिषेक दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक किया जाएगा। तत्पश्चात महाआरती और अन्नदान भोग दोपहर बारह बजे से तीन बजे तक होगा। शाम पाँच बजे मंदिर से श्री वीर हनुमान उत्सव मूर्ति की नगर रैली शुरू होगी, जो बंगाली क्लब, गोल घर, दिलानीपुर, फीनिक्स बे, गांधी स्टैच्यू और अबरडीन बाजार होते हुए वापस मंदिर आएगी। इक्कीस दिसंबर को शाम पांच बजे मंदिर में पुष्पांजलि पूजा का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>